न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1480–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 12–3–2014 पारित द्वारा कलेक्टर जिला झाबुआ प्रकरण क्रमांक 01/पुनः/2006–07.

शकुर मोहम्मद पुत्र सफी मोहम्मद
निवासी कैलाश मार्ग झाबुआ .....आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला झाबुआ .....अनावेदक

श्री धमेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्री पी0एस0 जादौन, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 2/3/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत कलेक्टर, जिला झाबुआ द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–3–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, झाबुआ के समक्ष संहिता की धारा 115 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम झाबुआ स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 15 रकबा 0.081 हेक्टेयर एवं सर्वे क्रमांक 15 रकबा 0.178 त्रुटिवश शासकीय दर्ज हो गई हैं, अतः संशोधन कर आवेदक के नाम अभिलेख दुरूस्त किया जाये । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 23–3–2006 को आदेश पारित कर अभिलेख दुरूस्त कर प्रश्नाधीन भूमि आवेदक के नाम दर्ज की गई । तदोपरांत कलेक्टर को शिकायत प्राप्त होने पर कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुनर्विलोकन की अनुमति अनुविभागीय अधिकारी को दी गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 12–3–2007 को आदेश पारित कर अनुविभागीय

अधिकारी का पूर्व आदेश दिनांक 23–3–2006 निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील कलेक्टर, झाबुआ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर कलेक्टर द्वारा 18–9–2008 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 6–4–2010 को आदेश पारित कर कलेक्टर का आदेश स्थिर रखते हुए अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रकरण कमांक 811–दो/10 प्रस्तुत की गई । इस न्यायालय द्वारा दिनांक 19–1–2011 को आदेश पारित कर अपर आयुक्त एवं कलेक्टर के आदेश निरस्त किये जाकर अनुविभागीय अधिकारी का पूर्व आदेश दिनांक 23–3–2006 स्थिर रखा गया । इस न्यायालय के आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत की गई । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 3–12–2013 को आदेश पारित कर प्रकरण कलेक्टर को इस निर्देश के साथ भेजा गया कि उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर देकर चार सप्ताह के अन्दर प्रकरण का निराकरण करें । माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में कलेक्टर द्वारा दिनांक 12–3–2014 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का पूर्व आदेश दिनांक 23–3–2006 निरस्त किया गया तथा प्रश्नाधीन भूमि पूर्ववत राजस्व अभिलेखों में म0प्र0 शासन के नाम यथावत रखने के आदेश दिये गये । साथ ही आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 17–12–2013 भी निरस्त किया गया । कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर बिना विचार किये आदेश पारित किया गया है । यह भी कहा गया कि आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 17–12–2013 पर भी कलेक्टर द्वारा कोई विचार नहीं कर सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया गया है, जो कि अन्यायपूर्ण कार्यवाही है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि का पटटा आवेदक के पूर्वजों को वर्ष 1929 में दिया गया था, तब से वह निरंतर काबिज होकर कृषि कार्य कर रहा है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा संहिता की धारा 57 (2) के अंतर्गत दिनांक 23–3–2006 को

आदेश पारित किया गया था, जिसके विरूद्ध एक वर्ष के अन्दर व्यथित पक्षकार व्यवहार न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकता है, परन्तु व्यवहार न्यायालय में वाद प्रस्तुत नहीं किये जाने से शिकायत के आधार पर कार्यवाही नहीं की जा सकती है । उनके द्वारा कलेक्टर का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में कार्यवाही की जाकर आदेश पारित किया गया है, जो विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि आवेदक की ओर से सार्वजनिक सड़क की भूमि को अपने नाम पर दर्ज कराने संबंधी आवेदन पत्र अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बिना किसी पर्याप्त कारण के आवेदक का आवेदन पत्र स्वीकार करते हुये सड़क की सार्वजनिक भूमि पर आवेदक का नाम दर्ज करने का आदेश दिया गया है, जो कि पूर्णतः अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही है, ऐसी स्थिति में कलेक्टर द्वारा उपरोक्त आशय का निष्कर्ष निकालते हुये अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने में पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है, इसलिये कलेक्टर का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर, जिला झाबुआ द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–3–2014 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर